भारत सरकार

उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी)
का
नागरिक चार्टर

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
एनईसी सचिवालय, नोंग्रीम हिल्स, शिलांग – 793003, मेघालय
www.necouncil.gov.in
2026

विषय-सूची

क्र. सं.	शीर्षक
1.	प्रस्तावना
2.	दृष्टिकोण
3.	उद्देश्य
4.	अधिदेश / सेवाएँ
5.	हितधारक / उपयोगकर्ता
6.	सेवा मानक एवं समय-सीमा
7.	शिकायत निवारण तंत्र
8.	एनईसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी
9.	आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी)
10.	संगठन के प्रमुख का विवरण
11.	नागरिकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता
12.	राज्य सरकारों / कार्यान्वयन एजेंसियों से अपेक्षाएँ
13.	नागरिक चार्टर की समीक्षा

प्रस्तावना

उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम सं. 84) के अधीन एक सांविधिक सलाहकार निकाय के रूप में किया गया था तथा परिषद ने 7 नवम्बर, 1972 को शिलांग में कार्य करना प्रारंभ किया। वर्ष 2002 में अधिनियम में संशोधन के पश्चात सिक्किम को आठवें सदस्य राज्य के रूप में शामिल किया गया तथा एनईसी को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय आयोजना निकाय के रूप में भी कार्य करने का अधिदेश प्रदान किया गया।

एनईसी, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडोनर) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक निकाय है। इसकी सदस्यता में पूर्वोत्तर के आठ राज्यों—अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा—के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य शामिल हैं। परिषद का सचिवालय शिलांग, मेघालय में स्थित है।

एनईसी क्षेत्रीय एवं वार्षिक योजनाएँ तैयार करता है और उनका मूल्यांकन करता है, पूर्वोत्तर राज्यों की विकास परियोजनाओं का प्राथमिकता निर्धारण एवं अनुमोदन करता है तथा राज्य सरकारों, कार्यान्वयन एजेंसियों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के समन्वय से उनके कार्यान्वयन हेतु निधियाँ जारी करता है और उनका अनुश्रवण करता है।

दृष्टिकोण

"पूर्वोत्तर राज्यों में विकास परियोजनाओं की आयोजना एवं उन्हें सहायता प्रदान करना, अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना तथा क्षेत्र के लिए रणनीतिक नीतिगत दृष्टिकोण प्रदान करना।"

उद्देश्य

i. क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एकीकृत एवं समग्र क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाएँ तैयार करना।
ii. सहभागितापूर्ण आयोजना एवं कार्यान्वयन के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए क्षेत्र की शक्तियों की पहचान करना और उपलब्ध अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना।
iii. क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए केंद्र/राज्य सरकारों/अन्य हितधारकों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना तथा अभिसरण को बढ़ावा देना।
iv. क्षेत्र के विकास, लोक व्यवस्था एवं सुरक्षा के लिए कार्यरत सभी एजेंसियों हेतु एक समन्वित एवं साझा दृष्टिकोण विकसित करना।
v. क्षेत्र के सर्वांगीण एवं तीव्र विकास के अनुकूल नवोन्मेषी एवं उपयुक्त नीतियों और रणनीतियों का विकास करना तथा उनके निर्माण में सहायता प्रदान करना।

अधिदेश / सेवाएँ

एनईसी की प्रमुख सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एकीकृत क्षेत्रीय योजनाएँ तैयार करने से संबंधित मामले।
ii. राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत विकास परियोजनाओं का प्राथमिकता निर्धारण, मूल्यांकन एवं स्वीकृति।
iii. स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियों (किस्तों) का निर्गमन एवं अनुश्रवण तथा पूर्ण परियोजनाओं का समापन।
iv. लोक शिकायतों का निवारण तथा हितधारकों से प्राप्त संचारों का समयबद्ध उत्तर।

हितधारक / उपयोगकर्ता

i. उत्तर- पूर्वी राज्य सरकारें
ii. केंद्रीय मंत्रालय/संगठन तथा उनके उपक्रम
iii. पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागरिक समाज
iv. पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनता

सेवा मानक एवं समय-सीमा

क्र.सं.	सेवा	नागरिक/राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	एनईसी द्वारा प्रक्रिया	समय-सीमा	उत्तरदायी अधिकारी के संपर्क विवरण
1.	एनईसी की योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों का प्राथमिकता निर्धारण	एनईसी की योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करना।	• परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकारों/केंद्रीय एजेंसियों द्वारा पूर्वोत्तर विकास सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। • एनईसी द्वारा प्रस्ताव का तकनीकी मूल्यांकन। • प्राथमिकता निर्धारण हेतु क्षेत्रीय अधिकार-प्राप्त समिति की बैठक।	निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से 30 कार्य दिवस।	श्री सोम कामेई, योजना सलाहकार, उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय, कक्ष सं. 503, द्वितीय तल, नोंग्रीम हिल्स, शिलांग – 793003, मेघालय। दूरभाष: 0364-2522675 ई-मेल: som.kamei@gov.in
2.	प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं की स्वीकृति	एसईसी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), एनईसी की योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करना।	• राज्य सरकारों/केंद्रीय एजेंसियों द्वारा डीपीआर पूर्वोत्तर विकास सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। • एनईसी द्वारा डीपीआर की जाँच एवं समीक्षा। • यदि परियोजना लागत ₹5 करोड़ से अधिक हो तो संबंधित मंत्रालयों को टिप्पणियों हेतु डीपीआर	निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित डीपीआर प्राप्त होने की तिथि से 60 कार्य दिवस।	श्री सोम कामेई, योजना सलाहकार, उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय, कक्ष सं. 503, द्वितीय तल, नोंग्रीम हिल्स, शिलांग – 793003, मेघालय। दूरभाष: 0364-2522675 ई-मेल: som.kamei@gov.in

क्र.सं.	सेवा	नागरिक/राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	एनईसी द्वारा प्रक्रिया	समय-सीमा	उत्तरदायी अधिकारी के संपर्क विवरण
			प्रसारित की जाती है। • ₹5-15 करोड़ लागत की परियोजनाएँ एनईसी स्तर पर ईआईएमसी के समक्ष रखी जाती हैं और ईआईएमसी की संस्तुति के आधार पर सचिव, एनईसी द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। • ₹15 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाएँ केंद्रीय स्तर पर ईआईएमसी के समक्ष रखी जाती हैं और ईआईएमसी की संस्तुति के आधार पर सचिव, एमडोनर द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। • एएफएस जारी करना। • कार्यान्वयन एजेंसी/राज्य सरकार/केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन।		
3.	कार्यादेश प्रस्तुत किए जाने के पश्चात प्रथम किस्त जारी करना	पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों सहित कार्यादेश प्राप्ति मांग प्रस्तुत करना।	• कार्यादेश कार्यान्वयन एजेंसी/राज्य सरकार/केंद्रीय एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। • मांग कार्यान्वयन एजेंसी/राज्य सरकार/केंद्रीय एजेंसियों द्वारा पूर्वोत्तर विकास सेतु पोर्टल पर प्रस्तुत की जाती है। • एनईसी द्वारा निधि जारी की जाती है।	कार्यादेश, मांग तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से 15 कार्य दिवस।	श्री थांगलेमलियान, वित्तीय सलाहकार, उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय, कक्ष सं. 340, प्रथम तल, नोंग्रीम हिल्स, शिलांग – 793003, मेघालय। दूरभाष: 0364-2522655 ई-मेल: thanglemlian.ds@nic.in
4.	अनुवर्ती किस्तों का निर्गमन	पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों सहित मांग प्रस्तुत करना।	• मांग कार्यान्वयन एजेंसी/राज्य सरकार/केंद्रीय एजेंसियों द्वारा पूर्वोत्तर विकास सेतु पोर्टल पर प्रस्तुत की	मांग एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज, जैसे पिछली जारी की गई राशि का	श्री थांगलेमलियान, वित्तीय सलाहकार, उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय, कक्ष सं. 340, प्रथम तल, नोंग्रीम हिल्स, शिलांग – 793003, मेघालय।

क्र.सं.	सेवा	नागरिक/राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	एनईसी द्वारा प्रक्रिया	समय-सीमा	उत्तरदायी अधिकारी के संपर्क विवरण
			जाती है। • एनईसी द्वारा निधि जारी की जाती है।	उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी), तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर), फोटोग्राफ आदि प्राप्त होने की तिथि से 15 कार्य दिवस।	दूरभाष: 0364-2522655 ई-मेल: thanglemlian.ds@nic.in
5.	परियोजनाओं का समापन	परियोजना पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करना।	• कार्यान्वयन एजेंसी/राज्य सरकार/केंद्रीय एजेंसियों द्वारा परियोजना पूर्णता रिपोर्ट पूर्वोत्तर विकास सेतु पोर्टल पर प्रस्तुत की जाती है। • एनईसी द्वारा समापन ज्ञापन जारी किया जाता है।	परियोजना पूर्णता रिपोर्ट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज, जैसे पिछली जारी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी), तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर), फोटोग्राफ आदि प्राप्त होने की तिथि से 15 कार्य दिवस।	श्री थांगलेमलियान, वित्तीय सलाहकार, उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय, कक्ष सं. 340, प्रथम तल, नोंग्रीम हिल्स, शिलांग – 793003, मेघालय। दूरभाष: 0364-2522655 ई-मेल: thanglemlian.ds@nic.in
6.	लोक शिकायतों का निवारण	नागरिक https://pgportal.gov.in के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।	• श्रीमती लेसांग आंगमू लामा, निदेशक (योजना) को शिकायतों तक पहुँच हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है। • आवश्यक कार्रवाई करने के पश्चात एनईसी द्वारा शिकायतों का निस्तारण किया जाता है।	21 दिन।	श्रीमती लेसांग आंगमू लामा, निदेशक (योजना), उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय, कक्ष सं. 430, प्रथम तल, नोंग्रीम हिल्स, शिलांग – 793003। दूरभाष: 0364-2522682 / 09953835821 ई-मेल: laysang.lama@nic.in
7.	सूचना का अधिकार (आरटीआई)	नागरिक संबंधित लोक प्राधिकारी को ऑनलाइन (https://rtionline.gov.in) अथवा डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन में मांगी गई सूचना स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए, आवेदक के संपर्क	• एनईसी से संबंधित आरटीआई https://rtionline.gov.in/RTIMIS/NODAL/index.php के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। • सुश्री श्रुतिमाला राजबोंग्शी, अवर सचिव को आरटीआई संबंधी मामलों के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित	30 दिन।	सुश्री श्रुतिमाला राजबोंग्शी, अवर सचिव (योजना), उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय, कक्ष सं. 445, प्रथम तल, नोंग्रीम हिल्स, शिलांग – 793003, मेघालय। ई-मेल: rajbongshi.shruti@gov.in

क्र.सं.	सेवा	नागरिक/राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	एनईसी द्वारा प्रक्रिया	समय-सीमा	उत्तरदायी अधिकारी के संपर्क विवरण
		विवरण शामिल होने चाहिए तथा ₹10 का शुल्क संलग्न होना चाहिए (जहाँ शुल्क से छूट प्राप्त न हो)।	किया गया है। • उपलब्ध सूचना के अनुसार एनईसी द्वारा आरटीआई आवेदनों पर कार्रवाई की जाती है।		
8.	एनईसी तथा उसकी गतिविधियों से संबंधित सूचना का प्रसार	सूचना प्राप्त करने हेतु एनईसी की वेबसाइट देखें तथा स्पष्टीकरण/विस्तृत जानकारी अपेक्षित होने पर प्रश्न भेजें।	एमडोनर की वेबसाइट नियमित रूप से अद्यतन की जाती है। वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त प्रश्नों का त्वरित निस्तारण किया जाता है।	7 दिन।	श्री रिचर्ड जोंगटे, उप सलाहकार (आईपीआर), उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय, कक्ष सं. 318, भूतल, नोंग्रीम हिल्स, शिलांग – 793003, मेघालय। दूरभाष: 0364-2522662 ई-मेल: richard.jongte@gov.in

शिकायत निवारण तंत्र

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर www.pgportal.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) में निम्नानुसार शिकायत निवारण तंत्र स्थापित है:

लोक शिकायत अधिकारी	पदनाम	दूरभाष / मोबाइल	ई-मेल
श्रीमती लेसांग आंगमू लामा	निदेशक (योजना)	0364-2522682 / 09953835821	laysang.lama@nic.in

समन्वय एवं शिकायत संबंधी प्रयोजनों के लिए एनईसी से संबद्ध उत्तरदायित्व केंद्रों / अधीनस्थ संगठनों के संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं:

उत्तरदायित्व केंद्र / अधीनस्थ संगठन	लैंडलाइन	मोबाइल सं.	ई-मेल
नार्थ ईस्टर्न रिजन कम्यूनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसायटी (नेरकॉम्स)	0364-2500495	08334854449	mdnercormp@gmail.com
नार्थ ईस्ट केन एण्ड बैंबू डेवलपमेंट कॉउंसिल (एनईसी बीडीसी)	–	9402506573	necbdc@gmail.com

एनईसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी

Organisation	नाम	पदनाम	Phone / ई-मेल	पता
उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी)	श्री सोम कामेई	योजना सलाहकार	0364-2522675, som.kamei@gov.in	कक्ष सं. 503, द्वितीय तल, एनईसी सचिवालय, नोंग्रीम हिल्स, शिलांग – 793003, मेघालय

आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी)

कार्यालय आदेश सं. NEC/ADM/23/2013 (एफ. कॉम्प. सं. 2413) के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों की जाँच करने हेतु एनईसी की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) निम्नानुसार है:

नाम एवं पदनाम	नामित के रूप में	दूरभाष सं.	ई-मेल आईडी	पता
श्रीमती शेरी लालथांगज़ो, आईईएस, आर्थिक सलाहकार (ई एंड एम)	अध्यक्षा	0364-2522665	sherry.lalthangzo@gov.in	कक्ष सं. 507, द्वितीय तल, उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय, नोंग्रीम हिल्स, शिलांग – 793003, मेघालय।
श्रीमती स्टेलिन लवाई, अनुभाग अधिकारी (वित्त)	सदस्य	9402135682	stailin.lawai@gov.in	उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय, नोंग्रीम हिल्स, शिलांग – 793003, मेघालय।
श्रीमती डेज़िली थांगखिएव, अधिवक्ता, मेघालय उच्च न्यायालय (महिला एवं बाल अधिकारों में विशेषज्ञता)	सदस्य	9436584913	daisy.thnkw@gmail.com	मेघालय उच्च न्यायालय, शिलांग।
डॉ. सौमित्र मिश्रा, वरिष्ठ तकनीकी सहायक	सदस्य	9161127790	saumitra.mishra@gov.in	उत्तर पूर्वी परिषद सचिवालय, नोंग्रीम हिल्स, शिलांग – 793003, मेघालय।

संगठन के प्रमुख का विवरण

नाम	पदनाम	दूरभाष सं. / ई-मेल	पता	संगठन
श्री सतिंदर कुमार भल्ला	सचिव, एनईसी	0364-2522645, sect-nec-meg@nic.in	एनईसी सचिवालय, नोंग्रीम हिल्स, शिलांग – 793003	उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी)

नागरिकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता

i. समयबद्ध एवं निष्पक्ष रूप से सेवाओं का प्रदाय।
ii. निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता।
iii. शिष्टाचार एवं व्यावसायिकता।
iv. भेदभावरहित व्यवहार।
v. व्यक्तिगत आंकड़ों का संरक्षण।
vi. विलंब एवं कमियों के लिए जवाबदेही।

राज्य सरकारों / कार्यान्वयन एजेंसियों से अपेक्षाएँ

i. निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत करना।
ii. एनईसी से प्राप्त निधियों का समयबद्ध एवं समुचित उपयोग करना।
iii. मितव्ययिता, गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों का पालन करना।
iv. निर्माण, कार्यान्वयन, निष्पादन एवं प्रतिवेदन में समुचित सावधानी एवं परिश्रम बरतना।
v. एनईसी के सहयोग से कार्यान्वित परियोजनाओं का समुचित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना तथा एनईसी को इससे अवगत कराते रहना।
vi. उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं प्रगति रिपोर्ट एनईसी को समय पर प्रस्तुत करना।
vii. एनईसी को उसके लक्ष्यों की प्राप्ति तथा उसके दृष्टिकोण को साकार करने में सहयोग प्रदान करना।

नागरिक चार्टर की समीक्षा

इस नागरिक चार्टर की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता तथा सरकारी नीतियों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष में एक बार समीक्षा की जाएगी।

GOVERNMENT OF INDIA

Citizens' Charter
of
North Eastern Council (NEC)

Ministry of Development of North Eastern Region
NEC Secretariat, Nongrim Hills, Shillong – 793003, Meghalaya
www.necouncil.gov.in

2026

Contents

Sl. no.	Title
1	Preface
2	Vision
3	Mission
4	Mandate / Services
5	Clients / Stakeholders / Users
6	Service Standards & Time Limit
7	Grievance Redress Mechanism
8	CVO of NEC
9	Internal Complaints Committee (ICC)
10	Details of Head of Organisation
11	Our Commitment to Citizens
12	Expectations from State Governments / Implementing Agencies
13	Review of Citizens' Charter

Preface

The North Eastern Council (NEC) was constituted as a statutory advisory body under the North Eastern Council Act, 1971 (Act No. 84 of 1971), and commenced functioning on 7th November 1972 at Shillong. Following the amendment of the Act in 2002, Sikkim was included as the eighth member State and the NEC was mandated to also function as a Regional Planning Body for the North Eastern Region.

The NEC is a statutory body under the administrative control of the Ministry of Development of North Eastern Region (MDoNER). Its membership comprises the Governors and Chief Ministers of the eight North Eastern States – Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura – together with members nominated by the President of India. The Secretariat of the Council is located at Shillong, Meghalaya.

The NEC prepares and appraises Regional and Annual Plans, prioritises and sanctions development projects of the North Eastern States, and releases and monitors funds for their implementation, in coordination with State Governments, Implementing Agencies and Central Ministries/Departments.

Vision

“To plan and support development projects in the North Eastern states, promote research and innovation and provide strategic policy vision for the Region.”

Mission

i. Preparation of integrated and holistic regional perspective plans to achieve specific short-term and long-term objectives, by taking into account the aspirations, needs and sensitivities of the people of the region.

ii. Identifying the strengths of the region and focusing on the opportunities for accelerating the pace of socio-economic development in the NER through participatory planning and implementation.

iii. Synergizing and building convergence in the efforts of Central/State Governments/other stakeholders for balanced development of the region.

iv. Evolving a coordinated common approach for all agencies working for the development, public order and security in the region.

v. Evolving and aiding in the formulation of innovative and appropriate policies and strategies suited for the region for its all-round rapid development.

Mandate / Services

NEC's key services include:

i. Matters related to preparation of integrated Regional Plans for the North Eastern Region.
ii. Prioritisation, appraisal and sanction of development projects submitted by State Governments/Implementing Agencies.
iii. Release and monitoring of funds (instalments) against sanctioned projects, and closure of completed projects.
iv. Redress of public grievances and timely response to communications from stakeholders.

Clients / Stakeholders / Users

i. NE State Governments
ii. Central Ministries/Organizations and their enterprises
iii. Civil Society in the North-East Region
iv. People of the NE Region

Service Standards & Time Limit

Sl. No.	Service	What Citizen / State Government / Implementing Agency does	Process	Time-limit by NEC	Contact details of responsible Officers
1	Prioritisation of proposals submitted under Schemes of NEC	Submission of complete proposal in prescribed format along with documents as per guidelines of Schemes of NEC	▪ Project proposals are submitted by State Governments/central agencies through Purvottar Vikas Setu Portal. ▪ Technical Appraisal of proposal by NEC. ▪ Sectoral Empowered Committee meeting for prioritisation	30 working days, from the receipt of complete proposal in prescribed format along with the requisite documents.	Sh. Som Kamei, Planning Adviser, North Eastern Council Secretariat, Room No. 503, 2nd Floor, Nongrim Hills, Shillong – 793003, Meghalaya. 0364-2522675 0364-2522675 som.kamei@gov.in
2	Sanction of prioritised projects	Submission of Detailed Project Report for the SEC prioritised	▪ Detailed Project Report is submitted by State	60 working days, from the receipt of Detailed	Sh. Som Kamei, Planning Adviser, North Eastern Council Secretariat,

Sl. No.	Service	What Citizen / State Government / Implementing Agency does	Process	Time-limit by NEC	Contact details of responsible Officers
		project in prescribed format along with documents as per guidelines of Schemes of NEC	Governments/Central agencies through Purvottar Vikas Setu Portal. ▪ DPR vetting and review by NEC ▪ DPR circulated for comments to the line Ministries (if the cost of the Project is more than 5 Cr) -> ▪ For project cost between Rs 5-15 Cr placed before EIMC at NEC level and on the basis of recommendation of EIMC approved by Secretary NEC ▪ If the project cost is above 15.00 Crore placed before EIMC at Central level and on the basis of recommendation of EIMC approved by Secretary, MDoNER ▪ Issue of AFS ▪ Implementation by Implementing agency / State Govt/Central agencies	Project Report in prescribed format along with the requisite documents as per guidelines of Schemes of NEC.	Room No. 503, 2nd Floor, Nongrim Hills, Shillong – 793003, Meghalaya. 0364-2522675 0364-2522675 som.kamei@gov.in
3	Release of first instalment after	Submission of work order	▪ Work order is submitted by the Implementing agency / State	15 working days, from the date of receipt of work order	Sh. Thanglemlian, Financial Adviser, North Eastern Council Secretariat, Room No.

Sl. No.	Service	What Citizen / State Government / Implementing Agency does	Process	Time-limit by NEC	Contact details of responsible Officers
	receipt of work order	Submission of demand request along with requisite documents in the portal	Govt/Central agencies. ▪ Demand request is submitted by Implementing agency / State Govt/Central agencies on the Purvottar Vikash Setu portal. ▪ Fund release by NEC	and demand request along with other requisite documents.	340, 1st Floor, Nongrim Hills, Shillong – 793003, Meghalaya. 0364 2522655 thanglemlian.ds@nic.in
4	Release of subsequent instalments	Submission of demand request along with requisite documents in the portal	Demand request is submitted by Implementing agency / State Govt/Central agencies on the Purvottar Vikash Setu portal. Fund release by NEC	15 working days, from the receipt of demand request along with other requisite documents such as, Utilization Certificate (UC) of previous release, Quarterly Progress Reports (QPR), photographs etc.	Sh. Thanglemlian, Financial Adviser, North Eastern Council Secretariat, Room No. 340, 1st Floor, Nongrim Hills, Shillong – 793003, Meghalaya. 0364 2522655 thanglemlian.ds@nic.in
5	Closure of projects	Submission of Project Completion Report	▪ Project Completion Report submitted by Implementing agency / State Govt/Central agencies on the	15 working days, from the receipt of Project Completion Report along with other	Sh. Thanglemlian, Financial Adviser, North Eastern Council Secretariat, Room No. 340, 1st Floor, Nongrim Hills, Shillong – 793003, Meghalaya.

Sl. No.	Service	What Citizen / State Government / Implementing Agency does	Process	Time-limit by NEC	Contact details of responsible Officers
			Purvottar Vikash Setu portal. ▪ Closure memo by NEC.	requisite documents such as , Utilization Certificate (UC) of previous release, Quarterly Progress Reports (QPR), photographs etc.photographs etc.	0364 2522655 thanglemlian.ds@nic.in
6	Redress of Public Grievances	Citizen(s) can lodge their grievance through https://pgportal.gov.in.	▪ Smt. Laysang Angmu Lama, Director (Planning) has been made the Nodal Officer for accessing the grievances. ▪ Grievances are disposed off by NEC after taking necessary action	21 days	Ms. Laysang Angmu Lama Director (Planning), North Eastern Council Secretariat, Room No. 430, 1st Floor, Nongrim Hills, Shillong – 793003 0364-2522682/ 09953835821, laysang.lama@nic.in
7	Right to Information (RTI)	Citizen(s) can submit application to the concerned public authority, either online(https:// rtionline.gov.in) or offline by mail or in person. The application must clearly state the information sought, include the applicant's contact details,	▪ The RTI in respect of NEC can be accessed through (https://rtionline.gov.in/RTIMIS/NODAL/ index.php). ▪ Ms. Shrutimala Rajbongshi, Under Secretary has been made the CPIO for RTI related mattters	30 days	Ms. Shrutimala Rajbongshi, Under Secretary (Planning) North Eastern Council Secretariat, Room No. 445, 1st Floor, Nongrim Hills, Shillong – 793003, Meghalaya. rajbongshi.shruti@gov.in

Sl. No.	Service	What Citizen / State Government / Implementing Agency does	Process	Time-limit by NEC	Contact details of responsible Officers
		and be accompanied by a fee of ₹10 (unless exempt).	and for accessing the portal. ▪ RTIs are processed by NEC as per information available.		
9	Dissemination of information about NEC and its activities	Visit website of NEC for gathering information and make queries in case clarification/elaboration is needed	MDoNER website is updated on regular basis. Queries received through website are promptly resolved.	7 days	Shri Richard Zongte, Deputy Adviser (IPR), North Eastern Council Secretariat, Room No. 318, Ground Floor, Nongrim Hills, Shillong – 793003, Meghalaya. 0364-2522662 richard.jongte@gov.in

Grievance Redress Mechanism

Grievances may be lodged online on the Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS) at www.pgportal.gov.in. The North Eastern Council (NEC) has a Grievance Redressal Mechanism in place as under:

Public Grievance Officer	Designation	Phone / Mobile	Email
Ms. Laysang Angmu Lama	Director (Planning)	0364-2522682 / 09953835821	laysang.lama@nic.in

Contact details of Responsibility Centres / Sub-ordinate Organisations associated with NEC, for coordination and grievance purposes, are as under:

Responsibility Centre / Sub-ordinate Organisation	Landline	Mobile No.	Email
North Eastern Region Community Resource	0364-2500495	08334854449	mdnercormp@gmail.com

Responsibility Centre / Sub-ordinate Organisation	Landline	Mobile No.	Email
Management Society (NERCORMS)			
North East Cane and Bamboo Development Council (NECBDC)	–	9402506573	necbdc@gmail.com

CVO of NEC

Organisation	Name	Designation	Phone / Email	Address
North Eastern Council (NEC)	Shri Som Kamei	Planning Adviser	0364-2522675, som.kamei@gov.in	Room No. 503, 2nd Floor, NEC Secretariat, Nongrim Hills, Shillong – 793003, Meghalaya

Internal Complaints Committee (ICC)

In terms of Office Order No. NEC/ADM/23/2013 (F. Comp. No. 2413), the Internal Complaints Committee (ICC) of NEC to look into matters of sexual harassment of women at the workplace stands as under:

Name & Designation	Nominated as	Phone No.	Email ID	Address
Smti. Sherry Lalthangzo, IES, Economic Adviser (E&M)	Chairperson	0364-2522665	sherry.lalthangzo@gov.in	Room No. 507, 2nd Floor, North Eastern Council Secretariat, Nongrim Hills, Shillong – 793003, Meghalaya.
Smti. Stailin Lawai, Section Officer (Finance)	Member	9402135682	stailin.lawai@gov.in	North Eastern Council Secretariat, Nongrim Hills, Shillong – 793003, Meghalaya.
Smti. Daisily Thangkhiew, Advocate, Meghalaya High	Member	9436584913	daisy.thnkw@gmail.com	Advocate, Meghalaya High Court, Shillong

Name & Designation	Nominated as	Phone No.	Email ID	Address
Court (expertise in women and child rights)				
Dr. Saumitra Mishra, Sr. Technical Assistant	Member	9161127790	saumitra.mishra@gov.in	North Eastern Council Secretariat, Nongrim Hills, Shillong – 793003, Meghalaya.

Details of Head of Organisation

Name	Designation	Phone No. / Email	Address	Organisation
Shri Satinder Kumar Bhalla	Secretary, NEC	0364-2522645, sect-nec-meg@nic.in	NEC Secretariat, Nongrim Hills, Shillong-793003	North Eastern Council (NEC)

Our Commitment to Citizens

i. Timely and fair delivery of services.
ii. Transparency in decision-making.
iii. Courtesy and professionalism.
iv. Non-discrimination.
v. Protection of personal data.
vi. Accountability for delays and deficiencies.

Expectations from State Governments / Implementing Agencies

i. Timely submission of proposal in required format and with proper documents.
ii. Timely and proper utilization of funds received from the NEC.
iii. Observing utmost standards of economy, quality and transparency.
iv. Due diligence in formulation, implementation, execution and reporting.
v. Proper monitoring & evaluation of the projects implemented with NEC's support and keeping the NEC informed of the same.
vi. Timely submission of utilization and progress reports to the NEC.
vii. Extending support to the NEC to meet its Goals and realize its vision.

Review of Citizens' Charter

This Citizens' Charter shall be reviewed once a year to ensure relevance, effectiveness and alignment with Government policies.